

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
119	अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)		80000000
164	नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना		3000000
337	आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण		712300000
460	आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय		5000000
495	आश्रम और शालाएं		120000000
502	इंजीनियरिंग महाविद्यालय		1723676
573	उच्च न्यायालय (भारत)		3000000
578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		20000200
620	उप स्वास्थ्य केन्द्र		100 *
679	एन्फोर्समेंट		4500000
0717	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं		18380200
750	औषध नियंत्रण		20000000
798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय		110500400
815	कार्यपालिक स्थापना		29500000
976	औ. प्र. स. कार्यालय भवनों का निर्माण		100 *
1026	खजाना स्थापना		3000000
1070	खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)		44000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
1108	गहन पशु विकास परियोजना		10000000
1208	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		1100000
1222	मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण		2400 *
1395	छात्रावास		130001600
1400	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना		300 *
1464	जिला उद्योग केन्द्र		3000000
1472	जिला खर्च		100 *
1473	जिला चिकित्सालय		300 *
1479	जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना		750000000
1509	जिला स्थापना		6500000
1510	जिला स्थापना		6587848
1513	जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण		500 *
1833	डिक्री धन का भुगतान (भारित)		10000000
1971	दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता के अनुमान		100 *
2013	नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना		20000600
2219	नलकूपों का अनुरक्षण		30000000
2245	नशाबन्दी कार्यक्रम		200 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
2283	निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)		30000000
2320	निर्देशन और प्रशासन		1700000
2409	निर्वाचन अधिकारी		11502500
2418	निष्पादन		180000000
2456	न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत		30000000
2457	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		800 *
2474	पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार		150000000
2629	पुलिस		12000100
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं		300 *
2710	प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालय		20000000
2715	प्रशासन		30000000
2777	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		1700 *
2786	प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत)		1000000
2900	अभ्यारण क्षेत्र		10000000
3264	मंडल स्थापना		500100
3300	मण्डल स्थापना		50000000
3370	संचालनालय उद्योग		3000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
3428	महाधिवक्ता		2000000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण		200 *
3491	माध्यमिक शालायें -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए		30000200
3537	मुख्य कार्यालय		70000000
3565	मुख्यालय स्थापना		500000
3566	मुख्यालय स्थापना		10000000
3578	मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर		4100 *
3710	राज्यों के राजमार्ग		100 *
3730	प्रोजेक्ट टाइगर		4400 *
3855	लोक निर्माण कार्य - भवन		100 *
3877	क्षेत्रीय वन मण्डल		200000000
4007	विधान सभा		6800000
4043	विमानन संचालनालय		3600000
4244	शीत ज्वर		40000000
4271	श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला		6000000
4280	संग्रह प्रभार		1000000
4281	संग्रह प्रभार - बिजली शुल्क		6000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
4327	सचिवालय		6000000
4336	राज्यों में सड़कों का निर्माण - राज्य मार्ग		100 *
4361	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा		3000000
4396	सरकारी प्राथमिक शालाएं -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए		20000100
4485	सामान्य प्रशासन विभाग - भवन		24700000
4492	सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)		100 *
4639	मुख्यालय स्थापना		1000000
4640	जिला स्थापना		4000000
4643	क्षेत्रीय स्थापना		1000000
4855	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना		2180000000
4948	डिक्री धन का भुगतान (भारित)		79200000 *
5032	भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना		391000
5059	एनिकट / स्टापडेम का निर्माण		200 *
5063	ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान		1300300
5067	विधि चिकित्सा विज्ञान		1000000
5086	महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण		800 *
5146	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम		3000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
5354	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)		100 *
5371	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण		247900400
5376	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार		375000000
5385	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना		50000100
5430	युवा आयोग को अनुदान		100 *
5435	प्रशासन अकादमी		2600000
5502	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट		3200 *
5557	राज्य पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना		2100 *
5998	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		1500 *
6140	छात्र भोजन सहाय योजना		400 *
6383	जल जीवन मिशन योजना		11000000000
6385	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय		1000000
6386	चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय		450000100
6401	राईस फोर्टिफिकेशन		756832000
6408	राज्य युवा मितान क्लब		200000000
6429	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान		390000000
6440	उत्कृष्ट शाला संचालन		200 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 6

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
6448	गोधन न्याय योजना		300 *
6450	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना		1000000000
6487	स्वामित्व योजना		100 *
6613	15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान		100 *
6619	डिजिटल एवं सोशल मीडिया		375000000
6625	रूरल इन्डस्ट्रियल पार्क		1564000000
6628	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड		700000000
6629	छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल		250000000
6630	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड		1500000000
6631	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड		2500000000
6636	पावर कंपनी के ऋण का टेकओवर		818900000
6644	राष्ट्रीय शिक्षता प्रोन्नति योजना		3240000
6646	छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक		23360000
6654	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट		1414740000
6666	मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना		300 *
6670	रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना		357100000
6677	छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना		160000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 7

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
6692	मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि		11110000
6696	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना		100 *
6728	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना		400000900
6742	औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान		50000000
6758	कृषि पंपों का ऊर्जाकरण		3353200000
6884	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		4175424000
6888	छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र की स्थापना		90000000
6908	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय		1500000000
7012	पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण		500000
7014	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना		200 *
7017	कृषि यंत्रों का कार्यालय		40000000
7023	छत्तीसगढ़ सामाजिक - आर्थिक सर्वेक्षण		140000000
7024	स्मार्ट पीडीएस योजना		19673000
7025	7.75 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031		100 *
7026	7.29 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030		100 *
7027	7.40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030		100 *
7028	7.42 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031		100 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 8

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7029	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना		900 *
7030	यूनिटी मॉल की स्थापना		10000000
7031	चाईल्ड हेल्प लाईन 1098		105300000
7032	महतारी सम्मान योजना		100 *
7033	नगरीय निकायों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के संपत्तिकर से छूट हेतु		300 *
7034	गेलेन्टरी अवार्ड		4584000
7035	गैर संस्थागत देखभाल		200 *
7036	पूंजीगत संपत्ति का निर्माण		200 *
7037	स्वच्छता कार्ययोजना		200 *
7038	मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)		1000000000
7305	5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान		3000000000
7327	मानसिक चिकित्सालय		20000000
7330	मितानिन कल्याण निधि		1500000000
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना		200000000
7490	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		160000800
7610	स्वच्छ भारत अभियान		400 *
7621	नेशनल लाइवस्टॉक मिशन		900 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 9

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम		100 *
7639	राज्य योजना का सुदृढीकरण मुल्यांकन एवं अनुसंधान		100 *
7656	दुर्ग विश्वविद्यालय		2000100
7680	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक		600 *
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान		601500000
7706	अमृत मिशन		2858880000
7716	मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं		4500000
7738	निःशक्तो जनो का सर्वेक्षण एवं आनलाईन पंजीयन		69265000
7771	पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान		100 *
7796	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप		1530000000
7811	डॉयल 100/112		3409000
7841	सेन्ट्रल लायब्रेरी		1350000
7861	संचार क्रांति योजना		95600000
7872	पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन		950000000
7875	शुचिता योजना		300 *
7884	प्रधानमंत्री मातृ वंदना		326300000
7919	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना		84968353

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 10

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7972	घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में रहत		1147000000
7976	जवाहर सेतु योजना		900 *
7979	समग्र शिक्षा		200 *
7988	उद्यानिकी विश्वविद्यालय		100000200
8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान		650060000
8040	जेल भवनों का निर्माण		100 *
8048	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय		6000000
8071	पोलीटेकनिक भवनों का निर्माण		100 *
8272	शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता		500000000
8545	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण		200000000
8650	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना		10000000
8975	छ.ग. लोक कला संगीत अकादमी एवं लोकगीतो व लोक नृत्यो का संरक्षण		15170000
8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य		50000000
9005	इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत		4750000100
9041	महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय		5800000
9044	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना		6000000
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना		300 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 11

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
9068	औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान		1000000000
9262	जिला सैनिक बोर्ड		714000
9948	विश्व विद्यालय पेन्शन भुगतान योजना		57200000

योग

60317502977